राजस्थान – सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार – कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई/सामान्य/राजपत्रित/09/1879 दिनांक : 20/7/09

–: परिपत्र :–

शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महोदय की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में अधीनस्थ कार्यालयों के लेखों की आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवेदन के बारे में चर्चा की गई। सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया हैं कि आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों में सारगर्भित आक्षेपों की ही शामिल किया जावे। अनावश्क, अपूर्ण एवं जिन बिन्दूओं पर कार्यालयाध्यक्षों द्वारा कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित न हों, उन्हें जांच प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जावें। एक ही प्रकृति की अनियमितता के संबंध में अलग–अलग अनुच्छेद नहीं बनाकर एक ही अनुच्छेद में उल्लेख किया जाये। प्रक्रिया एवं लघु अनियमितताओं के संबंध में अलग से टैस्ट ऑडिट नोट जारी किया जावें।

उपरोक्त के अतिरिक्त निरीक्षण प्रतिवेदनों में संबंधित कार्यालय में बकाया वेतन स्थिरीकरण बकाया पेंशन प्रकरणों एवं बकाया अवकाश प्रकरणों का आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उनके निस्तारण के संबंध में कार्यालयाध्यक्ष को आवश्यक सुझाव दिया जावें इसके अलावा एफ0वी0सी0 बिलों का मिलान स्टोर लेजर से किया जावें।

विभाग में केन्द्रीय सरकार की कई योजनाऐं चल रही हैं उनका नियंत्रण अलग–अलग अधिकारियों के पास हैं। अतः सभी योजनाओं के अंकेक्षण के समय सबधित योजना की गाईड लाइन के अनुसार अंकेक्षण कर अलग–अलग पैरा योजनावार बनाये जायें और मेडिकेयर रीलिफ सोसायटी मे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम लागू नहीं हैं, इस संबंध में जारी गाईड लाइन के अनुसार ही अंकेक्षण किया जावें।

निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करते समय उपरोक्त बिन्दूओं की पालना कडाई से की जावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

क्रमांक : ई/सामान्य/राजपत्रित/09/1879 दिनांक : 20/7/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, एन0आर0एच0एम0/आर0एच0एस0डी0पी0/निदेशक, आई0ई0सी0।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, आर0सी0एच/एड्स/ई0एस0आई0।
6. अति0 निदेशक, राजपत्रित/प्रशासन/आर0सी0एच0/ग्रामीण स्वास्थ्य/चिकित्सा प्रशासन/आई0ई0सी0।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
10. समस्त डिलींग सहायक, निदेशालय।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।